/

संख्या-43 2026/1147/ सत्रह-म-2026-17-1099/83/2026

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक मत्स्य,

उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊः दिनांकः जुलाई, 2026

विषयः उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी के विकास हेतु नए तालाब एवं झींगा बीज रियारिंग इकाई के निर्माण हेतु सहायता योजना हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि ₹10.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 5.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-396/नि0शा0/2026-27 दिनांक 30.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन, 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,04-उत्तर प्रदेश के खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी का विकास, 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी के विकास हेतु नए तालाब एवं झींगा बीज रियारिंग इकाई के निर्माण हेतु सहायता योजना हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि ₹10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी के विकास हेतु नए तालाब एवं झींगा बीज रियारिंग इकाई के निर्माण हेतु सहायता योजनान्तर्गत योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन, 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,04-उत्तर प्रदेश के खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी का विकास, 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि ₹ 10.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 5.00 लाख(रूपये पांच लाख मात्र) को आहरित कर व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सवीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक

अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।

(5) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व महानिदेशक मत्स्य/ सम्बंधित अधिकारी का होगा।

(6) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च 2026 तथा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस सम्बंध में होने वाला व्यय धनराशि ₹ 5.00 लाख (रू0 पांच लाख मात्र) को अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन, 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना,04-उत्तर प्रदेश के खारे जल क्षेत्रों में मात्स्यिकी का विकास, 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त्त विभाग के अशासकीय संख्या- **E-1-97-X-2026-27-दिनांक:23-7-2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।**

भवदीय

Digitally signed by
SUNIL KUMAR VERMA
Date: 28-07-2026
11:25:50

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-43 1147 / 2026 / (1) / सत्रह-म-2026 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।

(3) मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।

(4) उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

(5) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

(6) सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(7) वित्त (वयय-नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।